



Rs. 20/-

**माननीय राजस्व मण्डल एवं मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी
ग्वालियर (म०प्र०)**

104

दिनांक 17.03.01/II/15

311
12.8.15

म०प्र० शासन द्वारा वरिष्ठ उप पंजीयक रीवा, जिला-रीवा
म०प्र०

— पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम

- 1- आयुक्त, नगर पालिक निगम रीवा, जिला-रीवा म०प्र०
- 2- जगतबहादुर सिंह तनय दया सिंह चंदेल सा० बरगवां,
जिला-सिंगरौली म०प्र०

— गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध श्रीमान् न्यायालय
कलेक्टर आफ रीवा म०प्र० के
प्रकरण क्र०-62/बी-103/14-15
में पारित आदेश दिनांक
03-07-2015 अंतर्गत धारा
56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम
1899

श्री. उपपंजीयक रीवा
द्वारा आज दिनांक 12.8.15
प्रस्तुत किया गया।
एड के
मार्केट कोर्ट रीवा

मान्यवर,


प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है:-

- 1- यह कि अनावेदक क्रमांक-1 द्वारा आवासीय एवं व्यवसायिक
योजना क्रमांक-6 विवेकानन्द नगर रीवा के सरदार
बल्लभभाई पटेल अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड रीवा में पी०पी०पी०
योजना के तहत समदड़िया बिल्डर्स प्रा०लि० जबलपुर म०प्र०
के द्वारा निर्मित फ्लैट क्रमांक-305 स्थित ब्लॉक क्रमांक-1
द्वितीय तल 1371.36 वर्गमीटर अनावेदक क्रमांक-2 को
30 वर्ष के लिये पट्टे पर दिया जाकर पट्टा विलेख दिनांक
24-07-2015 को मात्र 92,300 रुपये स्टाम्प शुल्क दिया
जाकर निष्पादित कर दिनांक 27-04-2015 को पंजीयन
हेतु आवेदक के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि प्रथमतः

M

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 7030-दो/15 जिला-रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित होकर अनुरोध किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	